न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–301/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00264)

1. महिपाल सिंह पुत्र श्री हरिनारायण सिंह,
2. रामस्वरूप सिंह पुत्र श्री हरिनारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयसिंह पुत्र प्रेम सिंह, जाति राजपूत, सा. पटवाली, तहसील परबतसर जिला नागौर हाल आबाद बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2. नरेश सिंह पुत्र उगमसिंह,
3. इन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह,
4. सदाकंवर पत्नि उगमसिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.02.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 22.06.2016 (प्रकरण संख्या 55/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स ग्राम बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 2.8100 बारानी–1 भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसके पुराने खसरा नम्बर 29 रकबा 2.8100 था एवं उसके पूर्ववर्ती के खसरा नम्बर 13 थे। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 76 रकबा 2.8000 बरानी–1, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.0500 बरानी, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0500 बरानी–1, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.3000 बरानी–1 कुल किता 4 कुल रकबा 4.20000 भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0400 बरानी–1, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.0200 बारानी–1, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.98000 बारानी–1, कुल किता 3 कुल रकबा 2.0400 भूमि में 1/4 हिस्सा बंट में आता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री जयसिंह ने अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि "ग्राम बड़ागांव की जमाबन्दी सम्वत् 2072–74 खाता संख्या 86 में भूमि खसरा नम्बर 76 तथा 117 की पश्चिमी सीमा की ल. 254 मीटर है जबकि पुरानी शीट वर्ष 2036–37 के अनुसार गत खसरा नम्बर 106 की

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पश्चिमी सीमा की लम्बाई 262 मीटर है, अतः उक्त लम्बाई को 254 की बजाय 262 दुरूस्त करने की कृपा करें'' जिस पर पटवारी हल्का की निम्न रिपोर्ट हुई कि ''ग्राम बड़ागांव के हाल खसरा नम्बर 76 व 117 की पश्चिमी सीमा की लम्बाई 254 मीटर है जो गत खसरा नम्बर 106 से बने है जिसकी लम्बाई 262 मीटर है जो कि मौके पर भी 262 मीटर सीमा मौजूद है, अतः खसरा नम्बर 76. व 117 की पश्चिति सीमा को पुरानी सीट अनुसार नई सीट में दुरूस्त किया जाना उचित है, पुरानी सीट से नई सीट को दुरूस्त करने से रास्ते व सरकारी भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा'' उपरोक्त पटवारी की रिपोर्ट पर नायब तहसीलार उप तहसील गुढागौडजी ने दिनांक 22.06.16 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ''रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक बडागांव की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम बड़ागांव की भूमि खसरा नम्बर 76 व 117 जो हाल खसरा नम्बर है व पुरानें खसरा नम्बर 106 बने है। पुरानी सीट व वर्तमान सीट में भूमि खसरा नम्बर 76 व 107 गत भूमि खसरा नम्बर 106 की पश्चिमी सीमा में 8 मीटर कम है, जो उचित कार्यवाही सेवा में पेश है।'' जिस पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 22.06.16 को आदेश पारित किये है कि ''प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार गुडागौडजी के अनुसार ग्राम बड़ागांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 76 व 117 की पश्चिमी सीमा में पुरानी नक्शा सीट व नई नक्शा सीट में अन्तर है, अतः उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 76 व 117 की पुरानी नक्शा सीट के अनुसार नई नक्शा सीट को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है वर्तमान नक्शा सीट दुरूस्ती में यह ध्यान रखा जावे कि रास्ता एवं राजकीय भूमि पर कोई प्रभाव नही पडे''

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया उपरोक्त आदेश में अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया, न उन्हे सुना गया लिहाजा अपीलार्थीगण अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये जबकि आराजी खसरा नम्बर 76 एवं 117 जो जयसिंह पुत्र प्रेमसिंह के नाम अंकित है एवं जो अपीलान्ट के दक्षिण में स्थित है, के ठीक उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 28 जिसके पुराने खसरा नम्बर 29 एवं उससे भी पुराना खसरा नम्बर 13 थे, की पुरानी सीट से नयी सीट में दुरूस्ती किये जाने से सीधे तौर पर प्रभावित है लिहाजा उपरोक्त आदेश जो बिना अपीलान्ट को सुनवाई के एवं अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि तथाकथित आदेश जो दिनांक 22.06.2016 को एक ही दिन में पटवारी व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त करके दिनांक 22.06.2016 को ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जिसमें न तो रिकार्ड का अवलोकन किया गया और न ही रिलिवेन्ट फैक्टस की जांच की गई एवं न ही पुरानी सीट सन् 1936–37 सम्वत 1993 व सन् 1979–80 का मिलान किया गया बल्कि रिपोर्ट जो जयसिंह ने प्रस्तुत की वो पुरानी सीट वर्ष 2036–37 पर आधारित थी जबकि ऐसी कोई सीट रिकार्ड में उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा आदेश निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया ह कि इस तरह जो आदेश खसरा नम्बर 76 एवं 117 की पुरानी नक्शा सीट से नये नक्शा सीट को दुरूस्त किया गया है, वह निराधार है। उन्होने कथन किया है कि बिना पडौसी काश्तकारों को पक्षकार संयोजित किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया एवं एवं पडौसी रिकार्डेड खातेदार अपीलान्ट की भूमि की बिना सुनवाई नक्शें में तरमीम करने एवं भूमि कम करने के आदेश दिये गये है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 के अन्तर्गत दुरूस्ती की जाती है तो वर्तमान में जो ग्रेवल सड़क बड़ागांव स्टेट हाईवे से चारणवास व मालसर की तरफ जाती है, उक्त सड़क पर रेस्पोडेन्ट्स कब्जा कर लेंगे एवं उससे राजकीय हानि होगी एवं अपीलान्ट द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 28 पर जो तारबंदी उपरोक्त खेत के दक्षिण की तरफ कर रखी है एवं उसके आगे उपरोक्त ग्रेवल सड़क बडागांव स्टेट हाईवे से चारणवास व मालसर की स्थिति में परिवर्तन आयेगा जिससे न केवल अपीलान्ट को तरबंदी व मैनगेट तोड़ना पड़ेगा बल्कि जो नई सर्वे सीट के अनुसार ग्रेवल सड़क निर्मित करने में लाखों रूपये खर्च हुऐ है एवं जिसका उपयोग व उपभोग जनहित में हो रहा है उसकी स्थिति बदलने पर राजकीय हानि होगी जिसकी गणना मूल्य में नही हो सकेगी। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट्स को उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पक्षकार नही बनाया गया लिहाजा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी इस अपील के साथ न्यायहित में प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करे हुए कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 86 में भूमि खसरा नमबर 76 तथा खसरा नम्बर 117 की पश्चिमी सीमा की लम्बाई 254 मीटर है जबकि पुरानी सीट वर्ष 2036–37 के अनुसार गत खसरा नम्बर 106 की पश्चिमी सीमा की लम्बाई 262 मीटर है तथा मौके पर भी उक्त लम्बाई 262 मीटर ही है जो कि सैटलमेन्ट के दौरान गलती से हुई है जिसे उक्त लम्बाई को साबिक के अनुसार कानूनन दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक, एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट लेकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.16 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की आराजी आमने–सामने स्थित है

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा आम रास्ते ग्रेवल सड़क में नाजयज रूप से किये गये अतिक्रमण को हटवाकर रास्ता दुरूस्त करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2015 को पेश किया गया है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.10.15 में उक्त रास्ते को रेस्पोडेन्ट द्वारा अवरूद्ध करना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्षकार था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एक ही दिन में पटवारी हल्का गिरदावर हल्का एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर बिना गुणावगुण के ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.16 को ही पारित किया गया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकाकरी उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत ,दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।